

प्रेस नोट - 31.03.2021

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते फर्जी प्रमाणपत्र एवं शपथपत्र दाखिल कर लोक निर्माण विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 07 वर्ष की कारावास व 10000 रुपये के अर्थदंड की सजा ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर / अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते फर्जी प्रमाणपत्र एवं शपथपत्र दाखिल कर लोक निर्माण विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 07 वर्ष के कारावास व 10000 रुपये के अर्थदंड की सजा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.04.2007 को थाना सिविल लाइन पर वादी एम०वी० सिंह सहायक अभियंता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा अभियुक्त कौशलेन्द्र के विरुद्ध फर्जी प्रमाणपत्र एवं शपथ पत्र दाखिल कर लोक निर्माण विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के संबंध में तहरीर दी गई थी । जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 133/07 धारा 420,467,468,471 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र दिनांक 31.08.2007 की धारा 420,467,468,471 भादवि में मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । थाना सिविल लाइन पुलिस टीम एवं मानीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा० न्यायालय समक्ष

प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त आरोपी को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. कौशलेन्द्र नाथ दुबे पुत्र विजय बहादुर निवासी बरालोकपुर थाना चौबिया जनपद इटावा ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा